न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 40/अपील/2023 (GCMS No. 2023/155)	18.07.2023	19.05.2025

1. सत्यनारायण आ. पन्नालाल जाति माली
   निवासी ग्राम बीबनवा, तहसील व जिला बून्दी
2. दयाराम आ. पन्नालाल जाति माली
   निवासी ग्राम बीबनवा, तहसील व जिला बून्दी
3. प्रभूलाल आ. पन्नालाल जाति माली
   निवासी ग्राम बीबनवा, तहसील व जिला बून्दी
4. बदरू बाई पुत्री पन्नालाल जाति माली
   निवासी ग्राम देवपुरा, तहसील व जिला बून्दी
5. गणेशी बाई पुत्री पन्नालाल जाति माली
   निवासी ग्राम बीबनवा, तहसील व जिला बून्दी

— अपीलान्टस

बनाम

1. कन्हैयालाल आ. परमानन्द जाति माली
   निवासी ग्राम बीबनवा, तहसील व जिला बून्दी
2. किशनगोपाल आ. परमानन्द जाति माली
   निवासी ग्राम बीबनवा, तहसील व जिला बून्दी
3. छोटा आ. देवीलाल जाति माली
   निवासी ग्राम बीबनवा, तहसील व जिला बून्दी
4. जगदीश पुत्र परमानन्द जाति माली
   निवासी ग्राम बीबनवा, तहसील व जिला बून्दी
5. पार्वती पुत्री परमानन्द जाति माली
   निवासी ग्राम बीबनवा, तहसील व जिला बून्दी
6. हेमराज पुत्र परमानन्द जाति माली
   निवासी ग्राम बीबनवा, तहसील व जिला बून्दी
7. ललिता बाई पत्नी रामप्रसाद जाति जांगिड़
   निवासी ग्राम बीबनवा, तहसील व जिला बून्दी

जिला कलक्टर बून्दी

8. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार बून्दी
9. राजस्थान राज्य जर्ये उप पंजीयक बून्दी

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांटस की ओर से श्री लीलाधर सिंह, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 1 लगायत 7 की ओर से श्री आनन्द सिंह नरूका एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 8 व 9 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांटस ने तहसीलदार बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.04.2022 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन आदेश अन्तर्गत धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आपसी सहमति बंटवारा बाबत पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 40/2023 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2023/155 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पो. की ओर से दिनांक 12.03.24 को जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

तत्पश्चात उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा सं. 164 रकबा 0.3999 हैक्टयर, 165 रकबा 0.2692 है. ,172 रकबा 0.1154 है. ,176 रकबा 0.0231 है. ,177 रकबा 0.6998 है. ,178 रकबा 0.2307 है. ,179 रकबा 0.0615 है. ,180 रकबा 0.4230 है. ,181 रकबा 0.1307 है. ,183 रकबा 0.0385 है. ,184 रकबा 0.1154 है. ,185 रकबा 0.0231 है. ,187 रकबा 0.1154 है. ,188 रकबा 0.0154 है. ,189 रकबा 0.0231 है. ,190 रकबा 0.0461 है. ,198 रकबा 0.4460 है. ,200 रकबा 0.0615 है. ,212 रकबा 0.0154 है. कुल किता 19 कुल रकबा 3.2532 हैक्टेयर वाकेग्राम बीबनवा में स्थित है। उक्त भूमि पर अपीलांट एवं रेस्पो.सं.1 लगायत 7 संयुक्त खातेदार दर्ज चले आ रहे है। इसीप्रकार कृषि भूमि खसरा सं.174 रकबा 0.1384 है. ,429/166 रकबा 0.2615 है. ,433/168 रकबा 0.2538 है. ,435/169 रकबा 0.1384 है. कुल किता 4 कुल रकबा 0.7921 हैक्टेयर वाके ग्राम बीबनवा में स्थित है जिसमें अपीलांट व रेस्पो.सं.1

जिला कलक्टर, बून्दी

लगायत 6 संयुक्त खातेदार दर्ज चले आ रहे है। इसी प्रकार कृषि भूमि ख.सं. 472/235 रकबा 0.3922 है. एवं 474/245 रकबा 1.1227 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.5149 हैक्टेयर वाकेग्राम बीबनवा में स्थित है जिसमें परमानन्द जी के वारिसान खातेदार दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण भूमियों में अपीलांटस का 8 बीघा 18 बिस्वा भूमि का हिस्सा बनता है। अपीलांट अनपढ है जिसका फायदा उठाकर रेस्पो.सं.1 लगायत 7 ने अपीलांटस से कहा कि उक्त भूमि का बटवारा प्रत्येक के हिस्से में आई भूमि के अनुसार व वर्तमान में कब्जे काश्त के अनुसार कर लेते है। अपीलांटस ने इस शर्त पर कि जहां पर अपीलांट वर्तमान में जिस भूमि पर काबिज है, उसी भूमि को उनके हिस्से व बटवारें में रखा जायेगा एवं जितना उनका खाते में हिस्सा बनता है, वह सम्पूर्ण हिस्सा अपीलांट के हिस्से में बटवारे में रखा जायेगा, सहमति दी गई थी, किन्तु अपीलांट की जानकारी के बिना व उनकी सहमति के विपरीत जाकर जहां पर अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं है उक्त भूमि को अपीलांट के हिस्से में रखते हुये एवं खाते में दर्ज हिस्से से कम भूमि अपीलांट को दी गई। रेस्पो.सं. 1 लगायत 7 ने तथ्य छिपाकर अपीलांट के अनपढ होने का फायदा उठाकर षडयंत्रपूर्वक तत्कालीन हल्का पटवारी से मिलीभगत कर उक्त भूमि का बटवारा प्रस्ताव गलत तरीके से बनाया जाकर तहसीलदार बून्दी के समक्ष पेश कर आदेश दिनांक 25.04.2022 पारित करवा लिया, जो अपीलांट के हित व अधिकारों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। कानूनन धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जो बटवारा का आदेश दिनांक 25.04.2022 को पारित किया गया है उसमें लगान के वितरण के बारे में किसी भी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया गया। उक्त विधिविरूद्ध आदेश का आज तक भी राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं हुआ।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तैयार बटवारा प्रस्ताव को अपीलांट को नहीं पढाया गया और न ही समझाया गया। उक्त आदेश जारी करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो अपीलांट से पूछताछ की गई और न ही मौके पर कब्जे की जांच कर मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। वर्तमान हल्का पटवारी ने अपीलांट को बताया कि आपका कब्जा जिस स्थान पर है वह भूमि आपके खाते में दर्ज नहीं है। तब अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु दिनांक 07.07.23 को आवेदन पेश किया, नकल दिनांक 11.07.23 को प्राप्त हुई। इस प्रकार अपीलांट को जानकारी होने तक का समय मुजरा दिया जाकर अपील अवधि मध्य माना जाना आवश्यक है। यदि देरी मानी जावे तो उसे क्षमा किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पृथक से प्रस्तुत है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 25.04.2022 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं.1 लगायत 7 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये गये कि पक्षकारान अपीलांटस एवं रेस्पो.सं.1 लगायत 7 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर आपसी सहमति से सहमति बटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया था, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त सहमति बटवारा आदेश दिनांक 25.04.2022 की सम्पूर्ण जानकारी अपीलांटस को प्रारम्भ से ही है। इसके बावजूद 01 वर्ष से अधिक अवधि गुजर जाने के बाद यह अपील पेश की गई, जो अवधि बाहर है। विलम्ब का कोई कारण नहीं बताया गया है जबकि मियाद अधिनियम में अपीलांट को विलम्ब का स्पष्ट रूप से संतोषजनक कारण बताना जरूरी है। विलम्ब का कोई कारण नहीं बताये जाने से अवधि बाधित यह अपील खारिज की जावे।

अभिभाषक रेस्पो. सं.1 लगायत 7 ने आगे गुणावगुण पर बहस करते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि पक्षकारान द्वारा स्वेच्छया कार्यालय तहसीलदार बून्दी में स्वयं उपस्थित होकर आपसी सहमति से अपने खाते की भूमि का बटवारा प्रस्ताव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, उक्त प्रस्ताव के अनुसार ही तहसीलदार बून्दी द्वारा बटवारा आदेश दिनांक 25.04.2022 पारित किया गया है। अपीलांटस द्वारा बटंवारा प्रस्ताव से हटकर अन्य मौखिक सहमति के बारे में बताया गया है, किन्तु ऐसी किसी भी मौखिक सहमति बाबत कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जबकि सहमति बटवारा प्रस्ताव पर सभी खातेदारान के भूमि विभाजन की सहमति के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी अंकित है। ऐसे में लिखित सहमति के स्थान पर मौखिक कथन का कोई महत्व नहीं है। अपीलांटस द्वारा मनगढन्त असत्य तथ्य के आधार पर यह अपील पेश की गई है जो बिना दस्तावेजी साक्ष्य के चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांटस द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.04.2022 की नकल दिनांक 11.07.2023 को प्राप्त होने पर जानकारी होना अंकित करते हुये अपील दिनांक 13.07.2024 को पेश की गई। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अन्दर अवधि मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

जिला कलेक्टर; बून्दी

अपील का परीक्षण गुणावगुण पर किये जाने पर प्रकट होता है कि कार्यालय तहसीलदार बून्दी से प्राप्त पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम बीबनवां की जमाबंदी संवत 2076 के खाता सं. नया 26 पुराना 25 के अनुसार किता 19 कुल रकबा 3.2532 हैक्टेयर अपीलांटस एवं रेस्पो.सं.1 लगायत 7 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जमाबंदी संवत 2076 के खाता सं. नया 24 पुराना 39 के अनुसार किता 4 कुल रकबा 0.7921 हैक्टेयर अपीलांटस एवं रेस्पो.सं.1 लगायत 6 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2076 के खाता सं. नया 135 पुराना 55 के अनुसार किता 2 कुल रकबा 1.5149 हैक्टेयर रेस्पो.सं.1, 2, 4, 5, 6 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। खातेदारान द्वारा दिनांक 18.04.2022 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कृषि भूमि का सहखातेदारों के बीच आपसी रजामन्दी से बटवारा करने बाबत तहसीलदार बून्दी को प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट पटवारी दिनांक 25.4.2022 के अनुसार खातेदारान के इकरारनामें एवं राजस्व अभिलेख की जांच की गई। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारों के नाम सहखातेदारी में दर्ज है तथा उपरोक्त विभाजन से सभी पक्षकारान सहमत है। तत्पश्चात यह इकरारनामा सभी सम्बद्ध पक्षकारों ने तहसीलदार बून्दी के सामने उपस्थित होकर प्रस्तुत किया। इकरारनामा पढ़कर सुनाया गया व समझाया गया। सभी पक्षकार सहमत होने से तदनुसार तस्दीक किया जाकर आदेश दिनांक 25.04.2022 को जारी किया गया।

इस संबंध में अपीलांट की आपत्ति है कि सहमति विभाजन आदेश कब्जानुसार व हिस्सानुसार नहीं किया गया। इसके प्रत्युत्तर में रेस्पो. का कथन रहा कि सभी पक्षकारान ने तहसीलदार बून्दी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर लिखित में आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें सभी खातेदारों ने अपने अंगूठा निशानी/हस्ताक्षर किये थे। इस न्यायालय ने खातेदारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत सहमति पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश का मिलान किया। जिससे ज्ञात हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदारान की लिखित सहमति पत्र से हटकर न तो खसरा नम्बरान में बदलाव किया गया और न ही रकबा कम किया गया, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 25.04.2022 में कोई त्रुटि नहीं पायी गयी।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक दोष प्रकट नहीं होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 19.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी